

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

सं०सं०-०१/स्था० (का०पदा०)-६३/२०२६/न०वि०एवंआ०वि०, पटना, दिनांक-.....

श्री विनोद कुमार (पर्यवेक्षकीय संवर्ग), कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, फुलपरास के विरुद्ध बरती गई अनियमितताओं से संबंधित मामलों के फलस्वरूप श्री कुमार की सेवा उनके पैतृक विभाग सहकारिता विभाग को तत्काल प्रभाव से वापस किया जाता है।

२. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-

(परमानन्द पाण्डेय)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-०१/स्था० (का०पदा०)-६३/२०२६ 9334/न०वि०आ०वि०, पटना/दिनांक- 05-09-26

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, मधुबनी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-सचिव, सहकारिता विभाग/श्री विनोद कुमार (पर्यवेक्षकीय संवर्ग), कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, फुलपरास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव